

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए) प्रारूप-6

निम्नांकित राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) इतिहास/वाणिज्य पद के राज्य कार्मिकों का सेवा नियम-1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र एफ.1(6)एफडी/नियम/98 दिनांक 28.12.1998, प.1(6) वित्त/नियम/98 दिनांक 28.12.1998, प.1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2001 एवं प.12(6)वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक 24.03.2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत निम्नांकित सम्बन्धित कार्मिक द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित (सेवानिवृति की तारीख) से, राजकीय सेवा से कॉलम संख्या-6 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्रम	कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	व्याख्याता विषय	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	DOB DD/MM/YYYY	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृति तिथि
1	राजेश कुमार तोमर	COMMERCE	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय, प्रतापगढ	05/02/1962	28/02/2022
2	गजराज सिंह चारण	HISTROY	राउमावि चान्द्रास -भीलवाडा	14/01/1962	31/01/2022


यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित के विरुद्ध आज तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

वास्तविक सेवानिवृति तिथि से पूर्व किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करें।

यदि किसी कार्मिक का वर्तमान पदस्थान स्थान, स्थानान्तरण अथवा अन्य किसी कारण से परिवर्तित हो गया है तो सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी नवीन पदस्थान स्थान के अनुरूप ही कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सत्यमेव जयते



(काना राम)

IAS


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2021-22 दिनांक- 6/12/21
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
- 4 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याता से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 अनुभाग अधिकारी-डीपीसी, वरिष्ठता अनुभाग/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर